

न्यायालय आर्बिट्रेटर (जिला कलक्टर) नागौर
पीठासीन अधिकारी-दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या-119/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सलीम पुत्र मोहम्मद जाति छीपा मुसलमान निवासी डेगाना तहसील डेगाना जिला नागौर।		1. भारत संघ जरिये सचिव, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. प्राधिकृति अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर। 4. प्रोजेक्ट मैनेजर, नेशनल हाईवे, आर्थोरिटी ऑफ इण्डिया, पीआईयू-अजमेर-104 आर्दश नगर, अजमेर 3050001

उपस्थित :-

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी, श्री शिवचन्द पारीक।
2. अप्रार्थी संख्या-1,2 व 4 की ओर से वकील श्री राकेश धनकड़।
3. अप्रार्थी संख्या-3 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश

दिनांक: 07-10-2019

1-प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने 2 लाईन बनाने आदि) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित आंशिक अवाई दिनांक 15.07.2015, 16.10.2015 एवं 06.05. 2016 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3छ(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 16.10.2017 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2-वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि-

2(1)-अप्रार्थीगण ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक भूखण्ड निर्माण (चौड़ा करने, दो लेन बनाने) आदि के लिए भूमि अवाप्ति के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की ओर भूमि अवाप्ति प्रकरण संख्या-60/2015 प्रार्थी के संबंध में संधारित कर एक सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 3 ड(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 10.09.2015 को जारी करना बताते हुए प्रार्थी को प्रेषित किया। जिसके द्वारा प्रार्थी को यह जानकारी हुई की प्रार्थी के कब्जासुदा स्वामित्व की सम्पति कृषि भूमि पेड़, कुआं, नलकूप व संरचना सहित कब्जा सुपुर्द करने हेतु कहा गया है। जिस सूचना प्रपत्र में प्रार्थी को देय प्रतिकर के रूप में मुआवजा राशि के निर्धारण की सूचना प्राप्त हुई है। अवाप्ति में ग्रसित सम्पति के मेजरमेन्ट, लेण्ड वेल्यू, मुआवजा प्राप्त करने के हितधारी व्यक्ति के निर्धारण एवं मुआवजा के निर्धारण बाबत अवाप्ति में ग्रसित भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स, पेड़ पौधे, आदि के मुआवजे का सही निर्धारण न किये जाने के कारण प्रार्थी ने रकम स्वीकार नहीं की है। हस्तगत अवाप्ति की



दिनेश कुमार यादव
कलक्टर, नागौर

कार्यवाही के पुर्ननिर्धारण एवं हक अधिकारों के निस्तारण को मध्यस्थ द्वारा अवधारित करने हेतु आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो बाद सुनवाई दिनांक 09.01.2017 को निर्णित किया गया और अप्रार्थी को प्रार्थी के प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 एवं संरचनाओं के संबंध में पारित अवार्ड दिनांक 06.05.2016 से असहमत होने पर उक्त संबंध में नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रखा गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा पुनः यह आवेदन पेश किया गया है।

2(2)—प्रार्थी की ग्राम लंगोड़ तहसील डेगाना जिला नागौर के खसरा नम्बर 442 रकबा 1.62 हैक्टर (पुराने खसरा नम्बर 221/2 रकबा 10 बीघा) 1.10 बीघा भूमि आवासीय संपरिवर्तित है, जिसके इन्द्राज जमाबन्दी में किये हुए हैं, जिसमें खसरा नम्बर 442 की 0.4861 हैक्टर भूमि अवाप्त को अवाप्त कर मुआवजा राशि के निर्धारण की सूचना प्रेषित करते हुए कब्जा प्रदान हेतु कहा गया, के संबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अधिसूचना और विधिक प्रावधानों के विपरित की गई है।

2(3)—अवाप्ति अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया से अवार्ड पारित किया गया है कि जिसमें न तो कोई व्यक्ति उनके समक्ष अपना पक्ष रख सका, सबूत प्रस्तुत कर सका, जिसके अभाव में अवाप्ति अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रभावित व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा कार्यवाही करे। प्रभावित व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और साक्ष्य सबूत का अवलोकन कर उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार ऐसा अवसर प्रदान किये बिना की गई कार्यवाही और पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4)—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 3छ(1)व(2) के तहत मुआवजा राशि का निर्धारण करने से पूर्व धारा 3छ(3) के आज्ञापक प्रावधानों की हस्तगत प्रकरण में पालना नहीं की गई है तथा मुआवजा निर्धारण आदेश प्रार्थी से बिना क्लेम आमन्त्रित किये एकतरफा आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रार्थी अपना क्लेम प्रस्तुत नहीं कर पाया इसलिए और प्रार्थी उक्त कारण से अपने अधिकारों से वंचित रहा है।

2(5)—धारा 3छ(1)व(2) के तहत पारित आदेश में प्रार्थी के खेत से अवाप्त की गई भूमि में पेड़ों की प्रजाती व संख्या आदि गलत दर्ज की गई है तथा भूमि व पेड़ों का मुआवजा बाजारू कीमत से बहुत कम किया है। प्रार्थी उक्त सभी तथ्य अपने क्लेम में ही दर्शित कर सकते थे, परन्तु प्रार्थी को उक्त अवसर ही प्रदान नहीं किया गया है।

2(6)— विवादित भूमि ग्राम लंगोड़ ग्रामीण क्षेत्र की भूमि रहती चली आई है और तत्पश्चात कथित भूमि का मौके पर कब्जा लिये जाने से पूर्व और अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान नगरपालिका शहरी क्षेत्र में दर्ज कर दी गई, इस कारण केन्द्र सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किये गये हैं, उनकी अनदेखी करते हुए कम मुआवजा राशि अदा करने के उद्देश्य से कथित अवार्ड पारित किया है, जो संशोधित किये जाने योग्य है।

2(7)— प्रार्थी की भूमि के पड़ोस में ही खसरा नम्बर 221 का भू भाग नन्दसिंह वगैरह को 80 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से मुआवजा दिया गया है, जबकि प्रार्थी की भूमि को 2,00,000/-रुपये बीघा की दर से मुआवजा अदा किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो पक्षपातपूर्ण निर्णय है। प्रार्थी की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो चुकी भूमि थी। प्रार्थी को कृषि भूमि की डीएलसी रेट 2,00,000/-रुपये बीघा अनुसार ही मुआवजा राशि प्रस्तावित की है, जो अनुचित है। नन्दसिंह वगैरह को 80 रुपये वर्गफुट के हिसाब से जो मुआवजा प्रस्तावित कर अदा किया गया है, उसके अनुसार 1 बीघा भूमि की कीमत $17434 \times 80 = 13,94,720/-$ रुपये एक बीघा की कीमत होती है, जबकि 2,00,000/-रुपये बीघा की राशि कृषि भूमि के अनुसार प्रार्थी को प्रस्तावित करना न्याय का हनन करना ही है। उक्त संबंध में दौराने बहस अन्य खसरा नम्बर 175 नये नम्बर 249 की खातेदार



114
क्र.सं. 114, नम्बर

रामेश्वरी देवी को अवाप्त भूमि का मुआवजा 19,75,225/-रूपये अवाप्त भूमि का क्षेत्रफल 4356 फुट अवाप्त भूमि के मुआवजे की दर प्रति वर्गफुट 453, खसरा नम्बर 175 नये नम्बर 250 का खातेदार किस्तुरराम को अवाप्त भूमि का मुआवजा 987628/-रूपये अवाप्त भूमि का क्षेत्रफल 2178 फुट अवाप्त भूमि के मुआवजे की दर प्रति वर्गफुट 453, खसरा नम्बर 217 नये नम्बर 378 का खातेदार प्रार्थी रामेश्वर को अवाप्त भूमि का मुआवजा 3743809/-रूपये अवाप्त भूमि का क्षेत्रफल 117219 वर्गफुट अवाप्त भूमि के मुआवजे की दर प्रति वर्गफुट 32, खसरा नम्बर 217 नये नम्बर 377 का खातेदार प्रार्थी श्यामबिहारी को अवाप्त भूमि का मुआवजा 3743809/-रूपये अवाप्त भूमि का क्षेत्रफल 117219 वर्गफुट अवाप्त भूमि के मुआवजे की दर प्रति वर्गफुट 32, खसरा नम्बर 177 नये नम्बर 241 की प्रार्थी गीगादेवी को अवाप्त भूमि का मुआवजा 628491/-रूपये अवाप्त भूमि का क्षेत्रफल 3229 वर्गफुट अवाप्त भूमि के मुआवजे की दर प्रति वर्गफुट 195, खसरा नम्बर 75 नये नम्बर 161 में हरीश चौधरी, हरिराम को 97 रूपये प्रति वर्गफुट, खसरा नम्बर 122 नये नम्बर 336 को 97 रूपये प्रति वर्गफुट, खसरा नम्बर 125 नये नम्बर 181 तथा 140 को 97 रूपये प्रति वर्गफुट, खसरा नम्बर 219 नये नम्बर 390 तथा 394 को 223 प्रति वर्गफुट, से मुआवजा दिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ये एक ही गांव की भूमि में स्थित, एक ही पंक्ति में एक ही किस्म की भूमि होने के बावजूद पृथक-पृथक मनमाने ढंग से मुआवजा मुआवजा दिया गया है, जो अप्रार्थी की बदयान्ति को प्रकट करता है।

2(8)— प्रार्थी की भूमि जो अवाप्त की गई है, उसके समीप की ही प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिस कारण से भी प्रार्थी अपनी भूमि पर पूर्व की भांति उपयोग उपभोग किया जाना संभव नहीं रहेगा, जिस बिन्दु पर भी 2013 के नये अधिनियम अनुसार मुआवजा की गणना नहीं कर मुआवजा राशि संदत की जा रही है।

2(0)— भूमि अवाप्ति अधिकारी ने उप पंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर मुआवजा राशि की गणना की है। बाजारू दर का निर्धारण किये बिना मुआवजे का निर्धारण ही नहीं किया जा सकता। भूमि अवाप्ति के प्रकरण में न्यायिक विवके काम में नहीं लिया गया है, केवल मात्र सरसरी तौर पर डीएलसी रेटों के आधार पर मनमाने ढंग से अवार्ड का निस्तारण किया है, जिससे अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

2(10)— प्रार्थी की भूमि का मुआवजा अत्यन्त कम निर्धारित किया गया है तथा भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर्स पेड़ों आदि का निर्धारण ही नहीं किया गया है। यदि भूमि अवाप्ति के दौरान डीएलसी दरों के स्थान पर वास्तविक बाजारू मूल्य के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया जाता तो अकाटय साक्ष्य के द्वारा उनके समक्ष यह स्थिति प्रकट की जा सकती थी कि जिस भूमि को अवाप्त किया जा रहा है वह भूमि कम से कम 2000/-रूपये प्रति वर्गफुट के मूल्य की है, इस दृष्टि से प्रार्थी को सोलेसियम और इस पर वर्णित ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकार था।

2(11)— अवार्ड पारित करते समय सम्पति अर्थात भूमि व उसमें पेड़ पौधे आदि की उपयोगिता/उपादेयता के संबंध में मुआवजे का कोई निर्धारण ही नहीं किया गया है तथा जो स्ट्रक्चर्स इस भूमि पर बने हुए हैं उनका किसी भी प्रकार से नाप चौप निर्धारित नहीं किया गया है। जो भूमि अवाप्त की गई है उस भूमि के मुआवजे का निर्धारण वर्गफुट में भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करके किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जो भूमि अवाप्त की जा रही है, उसे वर्गफीट में अवाप्त किया जा रहा है इसलिए जब भूमि के मुआवजे का निर्धारण किया जाना है तो, उसकी कीमत का भी निर्धारण वर्गफुट में ही किया जाना न्याय संगत है।

2(12)— हस्तगत भूमि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी होने के आधार पर उन सभी मापदण्डों को उपयोग में लेना चाहिए था, जिनको कि सम्पति के विक्रय के समय पंजीयन के दौरान काम में लिया जाता है अर्थात सर्वप्रथम तो हस्तगत भूमि का निर्धारण बाजार मूल्य के आधार पर करते हुए इस भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई होने के आधार पर व्यावसायिक मानकर व्यावसायिक दर के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया जाना जरूरी था, हस्तगत भूमि का बाजार मूल्य 2000/-



[Handwritten signature]
कमलेश्वर, नरमो

रूपये प्रति वर्गफुट है। मुआवजा निर्धारण अधिकारी ने प्रार्थीगण के प्रकरण में सौतेला व्यवहार करते हुये इसके पास की अन्य भूमि जो पुराने खसरा नम्बर 175 का भू भाग है, इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण 459/- रूपये प्रति वर्गफुट के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भूमि जो प्रार्थी के उपयोग उपभोग की भूमि के आस पास की भूमि है, उसमें मुआवजे का निर्धारण 223/-रूपये, 195/-रूपये, 232/-रूपये, 100/-रूपये 97/-रूपये अर्थात पृथक पृथक दर से वर्गफुट में भूमि की कीमत का निर्धारण किया है, जबकि प्रार्थी की भूमि का निर्धारण मात्र 30/-रूपये प्रति वर्गफुट के आधार पर करने का कोई भी आधार उनके समक्ष नहीं होने के बावजूद मनमाने ढंग से मुआवजे का निर्धारण किया गया है, जिससे अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे का पुर्ननिर्धारण किया जाना न्यायोचित है।

2(13)— वकील प्रार्थीगण ने आगे बहस जारी रखते हुए भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित अर्वाड में निर्धारित की गई मुआवजा राशि में संशोधन के संबंध में निवेदन किया कि अवाप्ताधीन भूमि की बाजारू दर न्यूनतम 2000/- रूपये प्रति वर्गफुट है, जिस दर पर अवाप्ति की कार्यवाही व्यवसायिक मानते हुए इस भूमि को व्यावसायिक भूमि के मापदण्डों से गुणित करते हुये देय राशि पुर्ननिर्धारित की जाये एवं उस राशि पर सोलेसियम व इन दोनों वर्णित ब्याज व उक्त राशि दिलाई जावे। प्रार्थी की भूमि का मुआवजा अत्यन्त कम निर्धारित किया गया है तथा भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर्स, पेड़ो का मुआवजा निर्धारित ही नहीं किया गया है, जिससे उनका पुर्ननिर्धारण किया जाकर मुआवजा दिलवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की अवाप्त की जाने वाली भूमि पर निर्मित परिसर का अतिरिक्त मुआवजा व उक्त राशि दिलाई जावे। अवाप्ति की अधिसूचना से सम्पूर्ण भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत ब्याज व भूमि अवाप्ति की स्थिति विकास, तकनीकी रूप से सिंचाई से साधन विकसित करने के कारण प्रार्थीगण को अतिरिक्त सोलेसियम दिलवाया जाने का कथन करते हुवे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अर्वाड अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 दिनांक 15.07.2017, 16.10.2015 एवं 06.05.2016 को संशोधित/परिवर्तित करते हुए नया अर्वाड पारित करने का निवेदन किया है।

3—वकील अप्रार्थीगण श्री राकेश धनकड ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में एक आवेदन पत्र संख्या-10/2016 माननीय पंच महोदय के समक्ष अर्वाड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित एवं परिवर्तित करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो कि सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू हो जाने से उक्त अधिनियम की धारा 26 के तहत आंशिक अर्वाड दिनांक 15.07.2015 को दिनांक 16.10.2015 को संशोधित कर पूर्व में पारित अर्वाड में पारित राशि की लगभग 3 गुणा राशि का अर्वाड पारित किया जा चुका था एवं संरचनाओं का अर्वाड भी दिनांक 05.06.2016 को पारित किया जा चुका था। उक्त संशोधित अर्वाड की रोशनी में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संख्या-10/2016 को मिन प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की रोशनी में प्रिमेच्योर मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा पुनः आंशिक अर्वाड दिनांक 15.07.2015, संशोधित अर्वाड दिनांक 16.10.2015 व संरचनाओं से सम्बन्धित अर्वाड दिनांक 06.05.2016 को संशोधित करने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पूर्व में ही अर्वाड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में पुनः उक्त अर्वाड दिनांक 15.07.2015 के सन्दर्भ में यह आवेदन पत्र माननीय पंच के समक्ष पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पूर्व में पारित अर्वाड राशि से लगभग 3 गुणा राशि का अर्वाड प्रार्थी के पक्ष में पारित किया जा चुका है परन्तु प्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना-पत्र माननीय पंच महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इस आधार पर भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है।



Handwritten signature
फ़सफ़्टर, नक़्क़े

3(1)-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 किमी 0.000 किमी 139.900 निम्बीजोधा से जरसाखेडा खंड तक के भूखण्ड निर्माण (चौड़ा करने/दो लाइन बनाने आदि) के लिए अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अपेक्षित है जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के अंतर्गत दिनांक 11.3.2013 को अधिसूचना जारी की गयी जिसे स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14.4.2013 को प्रकाशित करवाकर हितधारियों व हर आम खास को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर यानि 05.05.2013 तक के लिए आक्षेप/आपत्तियां आमंत्रित की गयी। उक्त निर्धारित समयावधि में अर्थात् 05.05.2013 तक विभिन्न ग्रामों से 65 आक्षेप/आपत्तियों मय दस्तावेज/सबूत आदि प्राप्त हुए। जिस पर अवाप्ति अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं को पर्याप्त, समुचित एवं व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 04.09.2013 को आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया। तत्पश्चात् अधिनियम, 1956 की धारा 3सी के अंतर्गत प्रतिवेदन दिनांक 4.9.2013 को भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को भिजवा दिया गया। उक्त प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.02.2014 को अधिनियम, 1956 की धारा 3डी की उपधारा-1 के तहत अधीन घोषणा जारी की गयी कि उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जावेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि हितधारियों व हर आम खास की सूचनार्थ उक्त अधिसूचनाओ का प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रो दैनिक नवज्योति और दैनिक भास्कर में दिनांक 06.04.2014 को किया गया। उपरोक्त प्रकाशन के पश्चात् दिनांक 26.04.2014 तक विभिन्न ग्रामों से प्राप्त आपत्तियों/आक्षेपों का निस्तारण कर उक्त अधिसूचनाओ के तहत भूमि का विधि अनुसार अर्जन किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अधिनियम 1956 व 2013 के प्रावधानों की रोशनी में आंशिक व संशोधित अवार्ड पारित किये गये है, जो कि पूर्णतया विधि सम्मत है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3(2)-भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवार्ड पारित करने से पूर्व प्रकरण से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का, सबूत पेश करने का व सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य व सबूतों का सूक्ष्म विवेचन करने के उपरान्त ही अवाप्त शुदा भूमि एवं उस पर स्थित संरचना, पेड़, नलकूपो, कुंओं इत्यादि के बाबत संबंधित तहसीलदार/उप पंजीयक महोदय द्वारा उपलब्ध करायी गयी डीएलसी दर एवं राज्य सरकार की प्रभावी बीएसआर के आधार पर प्रतिकर के रूप में देय मुआवजे की राशि का निर्धारण करते हुए अवार्ड पारित किये गये है जो कि अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत सही व उचित है। प्रार्थी अवार्ड में दिये गये मुआवजे की राशि के अतिरिक्त अन्य कोई मुआवजा राशि निर्धारित करवाने एवं प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3(3)-भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिनियम 1956 व 2013 के प्रावधानों की रोशनी मे प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि, भूमि में स्थिति संरचनाओं, पेड़ों इत्यादि के मुआवजे का समुचित रूप से निर्धारण दिनांक 15.07.2015 को प्रार्थी के पक्ष में राशि 6,60,902/- रुपये का अवार्ड पारित किया गया था, जो कि दिनांक 01.01.2015 को अधिनियम 2013 के लागू होने पर दिनांक 16.10.2015 को संशोधित कर दिया गया व उक्त संशोधित अवार्ड के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में पारित अवार्ड दिनांक 15.07.2015 राशि 6,60,902/- रुपये से लगभग 3 गुणा राशि 16,64,617/- रुपये का संशोधित अवार्ड प्रार्थी के पक्ष में अधिनियम 2013 के प्रावधानों की रोशनी में पारित किया जा चुका है, जिसका उल्लेख अवार्ड दिनांक 16.10.2015 के क्रम संख्या-60 पर किया गया है, जो कि पूर्णतया विधि सम्मत है तथा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचनाओं के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड दिनांक 06.05.2016 को पारित किया जा गया है परन्तु प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि में किसी प्रकार की कोई संरचना स्थित नहीं हैं। इस सन्दर्भ में विस्तृत विवरण अवार्ड दिनांक 06.05.2016 के क्रम संख्या-60



11/17
कलेक्टर, जयपुर

पर किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आधारहीन होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

3(4)—भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिनियम, 1956, अधिनियम 2013 व केन्द्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की रोशनी में अवाप्तशुदा भूमि के सन्दर्भ में समुचित मुआवजा राशि का निर्धारण कर नियमानुसार अवार्ड पारित किये गये हैं, जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है जिन्हे प्रार्थी किसी भी आधार पर संशोधित करवाने का अधिकारी नहीं है ना ही प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस आधार पर अपने आवेदन पत्र में दर्ज किया है, जिससे कि अप्रार्थीगण द्वारा पारित अवार्ड संशोधित किये जा सकें। इस आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3(5)—भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने की दिनांक 11.3.2013 को भूमि की किस्म के आधार पर प्रचलित डीएलसी दरों जो कि बाजार मूल्य के समकक्ष थी के आधार पर भूमि के मुआवजे का निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया जो कि विधिसम्मत है। प्रार्थी के साथ किसी भी प्रकार का कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया गया। प्रार्थी ने पास ही के अन्य खसरा नम्बरो की भूमि के दर का बिना किसी आधार के उल्लेख किया गया है इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज मिन उत्तरदाता अप्रार्थी को उपलब्ध करवाया गया है, जो प्रार्थी के उक्त कथनों को साबित करते हो। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि की किस्म तथा संरचना के आधार पर समुचित रूप से मुआवजे का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3(6)—भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा सम्बन्धित तहसील कार्यालय से अवाप्तशुदा भूमि की डीएलसी दरों की सम्पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त कर प्रचलित बाजार दर की रोशनी में मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड पारित किया गया है, जिसका विस्तृत उल्लेख भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड में किया गया है।

3(7)—प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि में किसी प्रकार की संरचना स्थित नहीं है, जिसके सन्दर्भ में सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 06.05.2016 को अवार्ड पारित किया जा चुका है, जिसका उल्लेख अवार्ड के क्रम संख्या-60 पर किया गया है, परन्तु बावजूद इसके प्रार्थी द्वारा इस मद में मिथ्या तथ्य दर्ज कर यह आवेदन माननीय पंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

3(8)—प्रार्थी का कथन कि अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा डीएलसी रेट के आधार पर किया गया है जबकि अधिकारिक रूप से डीएलसी दरें बाजार दर के समकक्ष हैं इसी आधार पर सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड पारित किये गये हैं। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अवाप्त शुदा भूमि का मूल्य 2,000/- रुपया प्रति वर्गफीट है भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रचलित दर के अनुसार ही अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड पारित किया गया है तथा प्रार्थी के साथ किसी प्रकार का कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया गया है। प्रार्थी अवार्ड में वर्णित मुआवजे की राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि मुआवजे के रूप में माननीय न्यायालय से निर्धारित करा पाने अथवा उत्तरदाता अप्रार्थीगण से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं प्रार्थी अवार्ड दिनांकित 16.10.2015 व 06.05.2016 को किसी भी प्रकार से संशोधित करवाने का अधिकारी नहीं होने का कथन करते हुए वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वयं खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4—राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने बहस में वकील अप्रार्थीगण श्री.राकेश धनकड़ की बहस का समर्थन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।



1/17
कमपटर, नमो

5-वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार-

5(1)-निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-458 के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना संख्या-606(अ) दिनांक 11.03.2013 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है। जिस पर धारा 3जी के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा सम्पादित करते हुए आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को जारी किया गया, इस आंशिक अवार्ड के तहत इस प्रकरण में प्रार्थी का खसरा नम्बर 221 (नया खसरा नम्बर 442) में से 0.4861 हैक्टर भूमि बारानी 2 किस्म अवाप्ति के संबंध में कुल मुआवजा राशि 6,60,902/-रूपये निर्धारित किया गया। तत्पश्चात भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू हो जाने से केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पुनः उक्त अवाप्त भूमि के संबंध में संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 को पारित कर प्रार्थी के प्रकरण में कुल 16,64,617/-रूपये मुआवजा राशि जिसमें से पूर्व अवार्ड में निर्धारित मुआवजा राशि 6,60,902/-रूपये घटाते हुए अन्तर राशि 10,03,715/-रूपये के मुआवजे का निर्धारण किया गया है। तत्पश्चात अवार्ड दिनांक 15.07.2015 व संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 में वर्णित अवाप्तशुदा भूमियों पर स्थित सरंचनाओं के मुआवजे के संबंध में भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा दिनांक 06.05.2016 को अवार्ड पारित किया गया, जिसमें प्रार्थी के प्रकरण में अवाप्त भूमि में कोई सरंचना नहीं पाई जाने पर सरंचना के संबंध में किसी प्रकार का मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि आवासीय संपरिवर्तित होना बताया है, परन्तु उक्त अवाप्तशुदा भूमि आवासीय संपरिवर्तित होने के संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वकील प्रार्थी द्वारा अवार्ड दिनांक 15.07.2015, 16.10.2015 व 06.05.2016 को संशोधित एवं परिवर्धित करने हेतु यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

5(2)-प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व उन्हे सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने को लेकर उज्र किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 11.03.2013 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14.04.2013 में प्रकाशन कर 21 दिन की समयावधि देते हुए आपत्तियां मांगी गई थी। तत्पश्चात धारा 3घ की अधिसूचना दिनांक 05.02.2014 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 06.04.2014 को प्रकाशित करवाया गया उक्त प्रकाशन के पश्चात दिनांक 26.04.2014 तक किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई एवं तत्समय प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस प्रकार वकील प्रार्थी का यह कथन की प्रार्थी को सुनवाई, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, विश्वसनीय नहीं है।

5(3)- प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अवार्ड में विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न दर से मुआवजा दिया गया है, एक ही गांव की भूमि में स्थित, एक ही पक्ति में, एक ही किस्म की भूमि होने के बावजूद भी पृथक-पृथक मुआवजा दिया गया है। इसके संबंध में प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि अग्रलिखित अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 175 (नये ख.नं. 249 व 250)को 453 रूपये प्रति वर्गफुट, 217 (नये ख.नं. 377 व 378) को 32 रूपये वर्गफुट, 177 (नये ख.नं. 241) को 195 रूपये वर्गफुट, 75 (नये ख.नं. 161) को 97 रूपये वर्गफुट, 122 (नये ख.नं. 336) को 97 रूपये वर्गफुट, 125 (नये ख.नं. 181 व 140) को 97 रूपये वर्गफुट, 219(नये ख.नं. 390 व 394) को 223 रूपये वर्गफुट, 221 (नये ख.नं. 1115/443, 1143/443, 1145/443, 1173/443, 1188/443 व 1240/443) को 223 रूपये प्रति वर्ग फुट से बाजार दर निर्धारित कर मुआवजा दिया गया है।



1/1
कवटर, नम

5(3)(1)— उक्त संबंध में अवार्ड दिनांक 15.07.2015 का अवलोकन करने पर खसरा नम्बर 221 मिन (नये ख.नं. 442) के निकटवर्ती खसरा नम्बरान 221 मिन (नये ख.नं. 1115/443, 1143/443, 1145/443, 1173/443, 1188/443 व 1240/443) की किस्म बरानी होते हुए भी सड़क के पास 1000 वर्गमीटर तक कृषि भूखण्डों के लिए 80रूपये प्रति वर्ग फुट की दर से मुआवजा निर्धारण हेतु प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा स्वीकार की गई है, जिसका अनुमोदन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है। मुआवजे की दरों का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी सपठित अधिनियम 2013 की अनुसूची प्रथम अन्तर्गत धारा-26 के अनुसार किया जाना है। धारा 26(1)(ख) में उल्लेखित है कि कलक्टर, भूमि बाजार मूल्य का निर्धारण या अवधारण करने में मापदण्ड अपनायेगा, अर्थात् "निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत।" निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र की अवधारणा के विपरित प्रभावी डी.एल.सी. दर के आधार पर खसरा नम्बर 221 मिन से बने (नये ख.नं. 1115/443, 1143/443, 1145/443, 1173/443, 1188/443 व 1240/443) की भूमि में से अवाप्त भूमि का बाजार मूल्य खसरा नम्बर 221 मिन (नया खसरा नम्बर 442) में से अवाप्त भू खण्ड से अधिक दर से निर्धारित है। केवल अवाप्त भू-खण्ड के आकार के आधार पर कम कीमत दी गई है, अन्य कोई आधार नहीं पाया गया है। जब भूमि के अवाप्त अलग-अलग भू-खण्डों का उपयोग किसी एक उद्देश्य के लिए होना हो तो भूमि के मूल्य पर प्रभाव पड़ना तर्क संगत नहीं है।

5(3)(2)— अतः उपरोक्त विवेचन में दिये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र की अवधारणा के अनुरूप मूल खसरा नम्बर 221 मिन (नया खसरा नम्बर 442) के निकटवर्ती खसरा नम्बर 221 मिन (नये ख.नं. 1115/443, 1143/443, 1145/443, 1173/443, 1188/443 व 1240/443) है जो इसके समान प्रकृति व किस्म के है। अधिनियम 2013 की धारा 28 के पैरा 7 में, कलक्टर के लिये धारा 26 के अन्तर्गत बाजार मूल्य निर्धारण हेतु मापदण्ड दिया गया है कि " ऐसा कोई अन्य आधार, जो प्रभावित कुटुम्बों के लिए साम्यापूर्ण न्याय के हित में और फायदेप्रद हो।" क्योंकि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रभावित हितधारक प्रार्थी को साम्यापूर्ण न्याय के फायदे नहीं मिले है।

5(3)(3)— इसी राजमार्ग हेतु खसरा नम्बर 222 में सें 0.2903 हैक्टर भूमि अवाप्त की गई है जो कि खसरा नम्बर 221 मिन (नया खसरा नम्बर 442) के चिपते ब्लॉक में समान प्रकृति व अवस्थिति में है। जिसके लिए दिनांक 28.10.2014 को घोषित अवार्ड में 80 रूपये प्रतिवर्ग फुट बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है। जिसका अनुमोदन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 221 मिन (नया खसरा नम्बर 442) व खसरा नम्बर 222 में अवाप्ति हेतु धारा 3ए अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 11.03.2013 को एक ही साथ हुआ है तथा प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 221 मिन (नया खसरा नम्बर 442) की धारा 3डी के तहत अवाप्ति का प्रकाशन दिनांक 05 फरवरी 2014 को हो चुका था, इसलिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 28.10.2014 में खसरा नम्बर 221 मिन (नया खसरा नम्बर 442) को भी शामिल किया जाना था परन्तु किसी कारणवश शामिल नहीं किया गया। यदि उक्त खसरा नम्बर 221 मिन (नया खसरा नम्बर 442) को दिनांक 28.10.2014 को अवार्ड में शामिल किया जाता तो खसरा नम्बर 222 के समान ही बाजार मूल्य से मुआवजा निर्धारित किया जाता। भिन्न दर से बाजार दर निर्धारण का कोई कारण नहीं बनता है। इस प्रकार साम्यापूर्ण न्याय के हित में प्रार्थी को भी लाभ दिया जाना उचित है।

5(4)—प्रार्थी द्वारा भूमि पर स्थित संरचनाओं के मूल्यांकन एवं इनकी मुआवजा राशि एवं उनकी उपादेयता को लेकर उज्र लिया गया है। प्रस्तुत मामले में उपरोक्तानुसार अवाप्तशुदा भूमि कोई संरचना नहीं होने से इनके संबंध में कोई मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि में क्या संरचना स्थित थी, जिसका मूल्यांकन नहीं हुआ है, के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी अवाप्तशुदा भूमि में कोई संरचना स्थित हो, को



[Handwritten signature]
कलक्टर, नम्बो

साबित करने में असफल रहा है। जबकि संरचनाओं का मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं की कमेटी द्वारा करवाया गया है, जो कि इस संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

5(5)- खसरा नंबर 222 व 221 जो गांव लंगौड के डी.एल.सी. के ब्लॉक संख्या 19 में स्थित है, का धारा 3ए क अंतर्गत किस्म बारानी/आबादी का प्रकाशन दिनांक 11.03.2013 को भारत के राजपत्र में हुआ। तत्पश्चात् खसरा नंबर 222 का दिनांक 22.11.2013 व खसरा नंबर 221 का दिनांक 05.02.2014 को धारा 3डी के अंतर्गत किस्म बारानी/आबादी का प्रकाशन भारत के राजपत्र में हुआ। दिनांक 28.10.2014 को खसरा नंबर 222 का मुआवजा निर्धारण 80 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से कर दिया गया है जबकि खसरा नंबर 221 का अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को घोषित किया गया। अवार्ड में भूमि के खसरा नंबर 221 (भूप्रबंध से बने नये ख.नं. 1115/443, 1143/443, 1145/443, 1173/443, 1188/443 व 1240/443) के लिए 80 रु. प्रति वर्गफुट से बाजार मूल्य स्वीकार किया गया है, जबकि 221 से ही बने नये खसरा नंबर 442 के लिए अलग दर से निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधि. 1956 की धारा 3ए व धारा 3डी के अंतर्गत मूल रूप से खसरा नंबर 221 का प्रकाशन हुआ है। तत्समय की स्थिति के अनुसार ही मुआवजा के लिए बाजार दर का निर्धारण किया जाना है। इसलिए खसरा नंबर 221 से बने नये खसरों के अनुसार अलग अलग बाजार दर तय करना न्यायोचित नहीं है। तत्समय हस्तगत प्रकरण में अवाप्त भूमि के लिये 80 रुपये प्रतिवर्ग फुट या 86,13,600/- रुपये प्रति हैक्टर से भूमि का बाजार मूल्य स्वीकार कर धारा 3जी (1) व 3जी (2) के तहत मुआवजा निर्धारण कर भुगतान किया जाना न्यायसंगत है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अतः हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 80 रुपये प्रतिवर्ग फुट से भूमि का बाजार मूल्य स्वीकार कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधि. 1956 की धारा 3जी(1) व 3जी(2) के तहत मुआवजा निर्धारण कर भुगतान किया जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को पालनार्थ भिजवाई जावे।

5(6)-आदेश सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर,
कसबपुर नगर

